

पञ्जाब प्रशासन आदि
5-1-21

21/1/20

पञ्जाबली वकील वणी के आवेदन पर
पेश हुई पञ्जाबली जे. तट्टीलडार, वणीवासी
से जॉन्व रीपोर्त भंगवर्ष गृह जॉन्व रीपोर्त
अनुसार प्रार्थी कनीराम ओड को बचपन
में कन्हैयालाल उर्फ कनीराम के साथ ही
जान्य जाता था। कनीराम उर्फ कन्हैयालाल
पिता काशीराम झोड़ नाम का वकील ग्राम
में डोर नोट नही है। रीपोर्त में प्रार्थी के
भारतों के फर्चा भौका पर एल्लापर लिखे हैं कि
हमारे भाई का राजस्व रिकार्ड में कन्हैया-
लाल के बजाम कनीराम दिया जाता है तो
हमें कोई आपत्ति नही है। प्रार्थी के समस्त
दस्तावेजों का शपथ पत्रों का अवलोकन
करने पर भी ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थी
का नाम कन्हैयालाल के बजाम कनीराम ओड
है ही उसे रिकार्ड में सही करवाना चाहिए।
तट्टीलडार, वणीवासी की जॉन्व रीपोर्त
से अनुशासन भंग पञ्जाबली में वर्जित

पूर्व में
का
जाने के
आप में
वली रिकार्ड



| | | |
|---------------|-----------------------------------|--|
| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व अहकाम हुकम की में जार |
|---------------|-----------------------------------|--|

लक्ष्मी के आधार पर प्रार्थी श्री कनैराम
 पिल काशी राम जाति ओड विवाही बैरवेडा
 का नाम कनीराम पिल काशीराम ओड
 पिचा जाने के आदेश दिया जा रहा है
 पतावली के नाम सुधार के अन्तर्गत
 होना है।

जय
 उपसचिव न्यायाधीश
 बड़ीसादही वि. चित्तौड़गढ़

(Faint, mostly illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page)

सेव
 श्री
 निव
 श्री
 नही
 निम
 1-
 2-
 3-